भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3426
23 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

अवसंरचना विस्तार के लिए आंकड़े और कार्यप्रणाली

3426 श्री विवेक के. तन्खाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में दबावग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) जनसंख्या भार के सापेक्ष देश में मौजूदा सार्वजनिक अवसंरचना का आधारभूत अध्ययन करने के लिए उठाए गए कदम क्या-क्या हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि इस प्रकार के अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं, तो भविष्य में सार्वजनिक अवसंरचना के विकास की योजनाएँ किस आधार पर तैयार की जाएंगी, इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विचार किए जाने वाले आँकड़ों तथा भविष्य के विस्तार की योजनाएँ बनाते समय किए जाने वाले वैज्ञानिक अध्ययनों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सामाजिक संपरीक्षा की कोई व्यवस्था मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): सातवीं एवं बारहवीं अनुसूचियों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243ब के उपबंधों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित विषय राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडों में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को मंजूरी देती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन

और कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियाँ जारी करती हैं।

<u>अमृत 2.0 :</u> मिशन को वर्ष 2021 में देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य शहरों को 'आत्मनिर्भर' एवं 'जल-सुरक्षित' बनाना है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन की व्यापक कवरेज प्रदान करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त, जलाशयों का पुनरुद्धार तथा हरित क्षेत्र एवं पार्कों का विकास भी मिशन के अन्य घटक हैं। मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण एवं कार्यान्वयन का अधिकार प्रदान किया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरों द्वारा नगर जल संतुलन योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिनमें जलापूर्ति प्रणालियों की वर्तमान स्थिति का आकलन शामिल है, जिससे शहरों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को कमियों की पहचान करने में सहायता मिलती है। ये सीडब्ल्यूपीबी शहरों को मिशन के उद्देश्यों पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायक होती हैं। शहर जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) में चिह्नित परियोजनाओं के आधार पर, शहर जल कार्य योजनाएं (सीडब्ल्यूएपी) तैयार की जाती हैं। इन सीडब्ल्यूएपी को राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) के रूप में संकलित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) अमृत 2.0 के तहत एसडब्ल्यूएपी पर विचार करती है और सिफारिश/अनुमोदन करती है। शहरी विकास एवं आवासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना के अनुमोदन, निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

एसबीएम-यू: स्वच्छता राज्य का विषय है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, संरचनात्मक और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कमियों की पहचान करना डिजाइन तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नीतिगत दिशा-निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करता है। एसबीएम-यू के तहत, भारत सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तथा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधिया जारी करती है।
